

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-17-2-17

संख्या-14/प्रो० 119/2016 1955 सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/-) के श्री खुर्शीद आलम खाँ, कोटि क्रमांक-390/11 विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता/ समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-) में दिनांक -18.06.2014 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. श्री खुर्शीद आलम खाँ, कोटि क्रमांक-390/11 द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता।

4. श्री खाँ को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०-1955

पटना-15, दिनांक-17-2-17

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ श्री खुर्शीद आलम खाँ, कोटि क्रमांक-390/11 विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।